

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:-एफ.4(ई)डी-245 / 2013 / लिंक.नं.9909 / अलेसे-III / 3550 दिनांक:- 2/7/19

कार्यालय आदेश

सुश्री दीपिका तोषनीवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोष शाहपुरा, (स्वतंत्र) भीलवाडा के पत्र क्रमांक 52 दिनांक 30.04.2019 के आवेदन अनुसार माह अगस्त 2019 में दिनांक 01.08.2019 से 25.08.2019 तक भ्रमण हेतु यूरोप जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन / फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगी।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय / विदेश सेवा गृहण नहीं करेगी।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी। उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 8 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी।
- 9 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
- 10 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)डी-245 / 2013 / लिंक.नं.9909 / अलेसे-III / 3550 दिनांक:- 2/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 कार्यालय उपकोष शाहपुरा, (स्वतंत्र) भीलवाडा के पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 52 दिनांक 30.04.2019 के क्रम में।
- 2 सुश्री दीपिका तोषनीवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोष शाहपुरा, (स्वतंत्र) भीलवाडा।


(शिल्पी खैरावाल)